राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1709/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
नरेन्द्र कुमार शर्मा गंगाधर राव की गली] गैटोर रोड] ब्रहमपुरी], जयपुर,राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 09-04-2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री लेखराम मीणा, उप निदेशक उपस्थित।
3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 28-07-2017 के द्वारा कनिष्ट लेखाकार श्योकरण के गृहऋण नथ्थीलाल शर्मा के वाहन किराया भुगतान व अन्य तथ्यों के संबंध में 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई है जो रिकार्ड उपलब्ध कराया है उस पर हस्ताक्षर नहीं है। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ था। अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश करने पर प्रथम अपील के साथ आवेदन प्राप्त हुआ जिसके आधार पर अपीलार्थी को 167 पृष्ठों की सूचना पत्र दिनांक 13-10-2017 से प्रेषित की गई है। प्रथम अपील निर्णय के पश्चात पत्र दिनांक 24-10-2017 से अपीलार्थी को 90 पृष्ठों की सूचना प्रेषित की गई है। जिस पर अपीलार्थी के प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 06-04-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र

दिनांक 13-10-2017, 24-10-2017 और प्रथम अपील निर्णय दिनांक 20-09-2017 संलग्न प्रस्तुत किया है।

7. अपीलार्थी द्वारा की गई प्रतिक्रिया को देखते हुए निर्देश दिये जाते है कि पूर्व में प्रेषित अभिलेख यदि प्रत्यर्थी कार्यालय में पेश किया जाता है तो उसको अधिप्रमाणित कर 7 दिवस में अपीलार्थी को उपलब्ध करा दिया जावे। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का निस्तारित किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त